FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

विक्रम सिंह बनाम ग्राम पंचायत श्यामपुरा वगै0

किस्म मुकदमा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण **मु0नं0** 5 **सन् 2025 जीसीएमएस नं.** 2025/122

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस अधिवक्ता श्री सुरजभान पूनियां उपस्थित। प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 297 ग्राम पंचायत श्यामपुरा दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 08.05.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
08/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.10.2024 बाबत नामान्तरकरण संख्या 297 ग्राम पंचायत श्यामपुरा तहसील पाटन स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मृतक खातेदार देवीसिंह के वारिसान का खाता खोला जाने के लिए कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत में पेश किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा हिस्से गलत होने के कारण नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया, परन्तु जमाबन्दी ... दिनांक 21.10.2024 को नामान्तरकरण स्वीकृत दिखाया जाकर ... हिस्सा एवं पिता का नाम गलत दर्ज किया गया जिस ... कारण विधि विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या 297 ग्राम श्यामपुरा दिनांक 21.10.2024 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहलकार की ... में ज...
	हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 297 ग्राम पंचायत श्यामपुरा दिनांक 21.10.2024 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.05.26 12:03:55 IST Reason: SelfAttested	